विदेशी मुद्रा गतिविधियां

अप्रैल 2009

(i) एक्जिम बैंक की सुरीनाम सरकार को 4.3 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सूरीनाम सरकार के साथ 25 फरवरी 2009 को सुरीनाम में उसके देश के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इंडिया से दस क्रैश फायर टेंडर्स की खरीद के वित्तपोषण के प्रयोजन से भारत से परामर्शी सेवा सहित पात्र वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु 4.3 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक करार किया है।

[16 अप्रैल 2009 का
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.61]

(ii) बाह्य वणिज्य उधार नीति-उदारीकरण - पट्टा परिचालन के लिए गारंटी जारी करना

प्रक्रिया को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि ए.डी. श्रेणी - I बैंकों को हवाई जहाज/ हवाई जहाज इंजन/हेलिकॉप्टर के आयात के संबंध में पट्टा परिचालन के लिए समुद्रपारीय पट्टाकर्ता के पक्ष में कार्पोरेट गारंटी जारी करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के नजरिये से 'अनापत्ति' सूचित कराने की अनुमति दी जाए ।

[20 अप्रैल 2009
ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 62]

(iii) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-बिक्री के रूप में शेयरों/अधिमान शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण-संशोधित रिपोर्टिंग व्यवस्था

किसी भारतीय कंपनी के अधिक व्यापक तरीके से बिक्री के रूप में मौजूदा शेयरों /अधिदेशात्मक रूप से

परिवर्तनीय अधिमान शेयरों (सीएमसीपीएस) /डिबेंचरों [अब इसके आगे से ईक्विटी लिखत के रूप में निर्दिष्ट] के अंतरण के रूप में प्राप्त निवेश के ब्योरे प्राप्त करने के लिए फार्म एफसी-टीआरएस संशोधित किया गया है। तदनुसार, आइबीडी/वि.मु.वि.अथवा प्रधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक द्वारा बिक्री के रूप में ईक्विटी लिखतों के अंतरण के संबंध में प्राप्त/प्रेषित किये गये धनप्रेषणों के कारण निधियों के आगमन/बहिर्गमन की रिपोर्टिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जानेवाला प्रोफार्मा भी संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय किया गया है कि फार्म एफसी-टीआरएस, प्रतिफल की रशि प्राप्त करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक को प्रस्तुत किया जाए ।

[22 अप्रैल 2009 का
ए.पी. (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 63]

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति-उदारीकरण

वर्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 के पैराग्राफ 107 में यथा घोषित और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फैले ऋण पर लगातार बने दबाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 31 दिसंबर 2009 तक अनुमत-मार्ग के तहत समग्र -लागत सीमा में रियायत प्रदान की जाए।

[28 अप्रैल 2009 का
ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 64]

v) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) की वापसी -खरीद / पूर्व भुगतान

वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 के पैराग्राफ 110 में यथा घोषित और भारतीय कंपनियों को हो रहे लाभों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नीति की समीक्षा की गयी और यह निर्णय लिया गया है कि आंतरिक उपचयों में से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की अनुमत वापसी खरीद की कुल रशि को, अनुमत मार्ग के तहत प्रति कंपनी शोधन मूल्य के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाए।

[28 अप्रैल 2009 का ए.पी.(डीआईआर सिरीज)
परिपत्र सं. 65]

vi) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000-अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए]/विदेशी मुद्रा अनिवासी(बैंक)खाते[एफसीएनआर(बी)] की जमानत पर अनिवासियों /अन्य पक्ष को ऋण जमाराशियां

वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 के पैराग्राफ 111 में यथा घोषित, यह निर्णय लिया गया है कि जमाकर्ताओं अथवा अन्य पक्षों को अनिवासी (बाह्य)रुपया खाते और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते में धारित निधियों की जमानत पर ऋणों की मौजूदा 20 लाख रुपये की सीमा 100 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाए ।

[28 अप्रैल 2009 का ए.पी.(डीआईआर सिरीज)
परिपत्र सं. 66]